

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।**S.B. Criminal Revision Petition No. 1954/2019****माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी**

याची के अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार गुप्ता।
लोक अभियोजक श्री अतुल शर्मा।

:: आदेश ::**06.09.2019**

योग्य अधिवक्ता याची का कथन रहा कि सर्वप्रथम प्रकरण में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान एफ.आर. पेश की गई थी एवं एफ.आर. में याची के साथ भगवईया की मौजूदगी नहीं मानते हुए एवं मौजूदगी के तथ्य को कॉल डिटेल्, गवाहान एवं राशि के भुगतान के क्रम में तथ्य प्रकट नहीं हुआ था। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के परिणामस्वरूप आरोप विरचित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उनका कथन रहा कि प्रकरण में विचारण कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है, जबकि पत्रावली पर प्रथमदृष्टया आरोपित अपराध के क्रम में कोई साक्ष्य नहीं है।

योग्य लोक अभियोजक का कथन रहा कि प्रकरण में पुलिस द्वारा एफ.आर. दी गई है, ऐसी स्थिति में संबंधित परिवादिया एवं उसकी पुत्री अभियोक्त्री को भी सुना जाए।

विचार किया गया। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति एवं प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए योग्य अधिवक्ता याची को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकरण में परिवादिया एवं उसकी

S.B. Criminal Revision Petition No. 1954/2019

पुत्री को **अयाचीगण** के रूप में पक्षकार बनाते हुए एक सप्ताह में संशोधित शीर्षक याचिका पेश करे, जो पेश होने पर अयाचीगण को नोटिस जारी हो।

पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे। तब तक अधीनस्थ न्यायालय, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम **2012** तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम **2005** दौसा में विचाराधीन सेशन प्रकरण संख्या—**56/2018** की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—